न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020 / 00073

1. मनोज कुमार पुत्र श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत ।
2. श्रीमती भंवर बाई पत्नी श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती अश्विनी पत्नी श्री जयसिंह (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक ।
4. श्रीमती अंजू पत्नी श्री दिवाकर (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति चारण राजपूत निवासी मार्फत श्री भगवत सिंह मकान नं0 ग–22 भवानी नगर, मुरलीपुरा स्कूल के पास सीकर रोड जयपुर ।
5. नारायण सिंह आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. शक्तिशरण सिंह आत्मज श्री जोरावर सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राधाकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा ।
2. मदन लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणाान तहसील तालेडा पोस्ट लीलेडा व्यासन वाया तालेडा जिला बून्दी।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।
4. तेज सिंह आत्मज श्री मूल सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम बडा गॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
5. उम्मेद सिंह आत्मज श्री मूलसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम बडा गॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
6. श्रीति राज बाई पत्नी श्री सवाई सिंह (पुत्री श्री मूल सिंह) जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम डोगरी पोस्ट मोजमाबाद तहसील ददु जिला जयपुर ।
7. देवराज आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 02.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि मृतक भागीरथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का ग्राम ठीकरिया चारणान में खसरा नम्बर 66 की रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वाद स्वीकार करने का कथन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.02.2003 के द्वारा दावा वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2005 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।

4. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2005 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2014 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 एवं न्याालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2005 दोनों निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

5. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2014 की पालना में परीक्षण न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 31.05.2016 को लोक अदालत में वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि हम इस वाद में आगे की कोई कार्यवाही नहीं चाते है। । अतः वाद खारिज किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.05.2016 को as withdrawn वाद खारिज कर दिया।

7. तत्पश्चात् वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.10.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर वाद को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.01.2020 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद को रेस्टोर करते हुए पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2020 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत वाद (मृतक) श्री भागीरथ जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था । मृतक भागीरथ जी के वारिसान मौजूद हैं । राधाकिशन एवं मदन लाल का भागीरथ जी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के राधाकिशन एवं मदनलाल को उनका वारिस मानकर भागीरथ जी द्वारा पेश किये गये दावे को मियाद बाहर रेस्टोर करने एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वादी का वाद आदेश 09 नियम 02 अथवा 03 के तहत खारिज नहीं किया गया है । इसलिए आदेश 09 नियम 04 के तहत यह प्रार्थना पत्र पोषनीय

नहीं है । इसलिए भी आदेश रेस्टोर करने प्रकरण पूर्णतया अवैध एवं निरस्तनीय है । वादीगण द्वारा अपनी इच्छा से अपना वाद as withdrawn आदेश 23 नियम 01 के तहत खारिज करवाया गया है जिसको रेस्टोर करने का कोई प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में भागीरथ आत्मज राम लाल ने एक दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा के बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। भागीरथ जी के देहान्त के बाद राधाकिशन एंव माधोलाल ने स्वयं को भागीरथ जी का उत्तराधिकारी बताते हुए पक्षकार बन वाद में कार्यवाही की । दिनांक 17.02.2003 को परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री किया जिसके खिलाफ प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2005 को अपास्त की गई । द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमतेर द्वारा दिनांक 22.12.2014 को स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । दिनांक 31.05.2016 को लोक अदालत में वादीगण राधाकिशन एवं मदन लाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा वाद में आगे की कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् कथन कर अपने हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा किया जिसके आधार पर दावा खारिज किया गया है । 03 वर्ष के उपरान्त हरीसिंह एवं मनोहर कुमारी के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 07.10.2019 को रेस्टोर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं था और हरिसिंह एवं श्रीमती मनोहर कुमारी के वारिसान को सुने बिना दावे को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिनाक 03.01.2020 को पारित किये गये । अपीलान्टगण को नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा डिक्री किया गया है । तनकीयात की विवेचना विधि–विरूद्ध रूप से की गई है । वादीगण के कोई भी अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं हैं । राधाकिशन एवं मदनलाल का भागीरथ से कोई सम्बन्ध नहीं है । वादीगण स्वयं न्याय आपके द्वार में उपस्थित हुए थे । नरायण सिंह भी उस कैम्प में उपस्थित हुए थे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है । दिनांक 31.05.2016 को वादीगण उपस्थित थे और उनको दिनांक 31.05.2016 के आदेश की जानकारी थी । उनका यह कथन कि दिनांक 07.10.2019 को धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जानकारी हुई असत्य है । धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वादीगण ने दिनांक 02.01.2018 को उपस्थिति देकर प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त की थी । जो दावा अपनी इच्छा से विड्रो किया गया है उसको पुनः नम्बर पर लेने का कोई कानूनन प्रावधान नहीं है । दावा आदेश 09 नियम 03 में खारिज नहीं किया गया है इसलिए आदेश 09 नियम 4 के तहत यह प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है । दावा विड्रो आदेश 23 नियम 01 सीपीसी के तहत हुई है जिसमें रेस्टोरेशन का कोई प्रावधान नहीं है । यदि वादीगण दिनांक 31.05.2016 के आदेश से अप्रसन्न थे तो उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था । श्रीमती मनोहर कुमारी एवं हरिसिंह के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने के कारण दावा

अबेट हो चुका है । दिनांक 07.02.2020 की आदेशिका के अनुसार वादी द्वारा आदेश 22 नियम 04 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि रेस्टोरेशन दिनांक 03.01.2020 को किया गया है। इससे यह प्रमाणित है कि रेस्टोरेशन के समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 नारायण एवं देवराज के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2020 को पेश कर यह प्रार्थना की थी कि जिला कलक्टर के यहॉ ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिए आगे की कार्यवाही यहॉ नहीं की जावे । इस प्रार्थना पत्र को खारिज करके निर्णय पारित किया गया है । दिनांक 19.02.2020 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 04 की ओर से अण्डरटेकिंग दिया जाना अंकित है परन्तु अपीलान्टगण के द्वारा किसी अभिभाषक को नियुक्त नहीं किया गया था और दिनांक 04.03.2020 की आदेशिका में अण्डरटेकिंग के आधार पर तामील कराने की आवश्यकता नहीं होना का अंकन किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार परीक्षण न्यायला का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2003 (2) (राज0) पेज 1001, एआईआर 2003 (एससी) पेज 2418, डीएनजे 2015 (4) पेज 1413, सीडीआर 2007 (1) (एससी) पेज 01, आरआरडी 2017 (2) पेज 1047, सीडीआर 2010 (एससी) पेज 395, आरआरटी 2007 (2) पेज 939, आरआरटी 2009 (1) पेज 432, आरआरटी 2009 (1) पेज 488, आरआरटी 2016 (2) 1110, आरआरटी 2018 (1) पेज 188, डीएनजे 2019 (1) राज0 पेज 47, डीएनजे 2017 (3) राज0 पेज 1054, आरआरटी 2008 (2) पेज 1408, सीडीआर 2014 (1) पेज 69, एआईआर 2019 (एससी) पेज 3297 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.05.2016 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई जिसमें वादीगण के द्वारा वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने की प्रार्थना की है और इस आधार पर वादीगण के निवेदन पर दावा वादी खारिज किया गया है । आदेशिका पर वादीगण मदन लाल और राधाकिशन के निशानी अंगूठा एवं हस्ताक्षर हैं । इसके उपरान्त एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 को वादीगण की ओर से आदेश 09 नियम 04 के तहत पेश कर दावे को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की है । इसका जवाब प्रतिवादी क्रम 1/1 एवं 1/2 देवराज एवं नारायण सिंह के द्वारा पेश किया गया है और परीक्षण न्यायालय के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.01.2020 को स्वीकार करते हुए दावा पुनः नम्बर पर लिया गया है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 03 हरिसिंह की मृत्यु दिनांक 12.03.2017 को और प्रतिवादी संख्या 2/2 श्रीमती मनोहर कुमारी की मृत्यु फरवरी, 2017 में हुई। प्रतिवादी क्रम 1/3 रामकंवरी बाई की मृत्यु दिनांक 09.05.2002 को हो गई परन्तु उनके कायममुकामान को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से पूर्व न तो कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है । चूँकि रेस्टोरेशन के पूर्व उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । वादीगण का यह दावा कायममुकामान समय पर रिकॉर्ड पर नहीं लेने के कारण अबेट हो चुका है । सीडीआर 2014 (1) पेज 69, एआईआर 2019 (2) (एससी) पेज 3269 के अनुसार पूर्णरूप से सभी प्रतिवादियों के खिलाफ अबेट होगा न कि मृत प्रतिवादियों के खिलाफ। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है वो यह है कि आदेशिका दिनांक 31.05.2016 के अनुसार वादीगण ने दावे को आगे नहीं चलाने की प्रार्थना की है अर्थात् दावे को विड्रो करने की

प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थना पर दावा खारिज किया गया है । ऐसी स्थिति में यह आदेश, आदेश 23 नियम 01 का माना जावेगा और यदि दावे को नया दावा पेश करने की अनुमति लिये बिना वापस लिया जाता है तो नया दावा पेश नहीं किया जा सकता और न ही इस दावे को आदेश 09 नियम 04 के तहत रेस्टोर कराया जा सकता है । चूँकि दावा आदेश 09 नियम 02 या 03 के तहत खारिज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश 09 नियम 04 के तहत रेस्टोर नहीं किया जा सकता । डीएनजे 2003 (2) पेज 1001 यहॉ चस्पा होती है । यदि वादीगण यह महसूस करते हैं कि दिनांक 31.05.2016 को उनके द्वारा दावे में आगे कार्यवाही नहीं किये जाने की कोई प्रार्थना नहीं की थी, मात्र पत्रावली में हस्ताक्षर किये थे तो ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था न कि रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र । एआईआर 2003 (एससी) पेज 2418 यहॉ चस्पा होती है । डीएनजे 2015 (4) पेज 1413 भी यहॉ चस्पा होती है ।

13. अपीलान्टगण जो कि हरिसिंह के वारिस हैं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ दिनांक 03.01.2020 को रेस्टोरेशन का निर्णय पारित किया गया है वह Nullity है । आरआरटी 2017 (2) पेज 1047, 2007 (एससी) सीडीआर पेज 01 यहॉ चस्पा होती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.05.2016 को वादीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उपस्थिति स्वरूप उन्होंने हस्ताक्षर भी किये थे । ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 07.10.2019 को हुई तथ्यों के विपरीत है और यह विलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है । आरआरटी 2007 (2) पेज 940, आरआरटी 2009 (1) पेज 432, आरआरडी 2007 (1) पेज 488, आरआरटी 2016 (2) पेज 1110, आरआरटी 2018 (1) पेज 188, डीएनजे 2019 (1) पेज 47, डीएनजे 2017 (3) पेज 1054, आरआरटी 2008 (1) पेज 1409 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. परीक्षण न्यायालय में दिनांक 06.03.2020 को देवराज एवं नारायण सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी इस आशय का पेश किया है कि मुकदमे को अन्तरित करने के लिए जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः प्रकरण में कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है परन्तु इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है ।

15. परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.05.2016 के अनुसार वादीगण का दावा वादीगण की प्रार्थना कि वो इस दावे में आगे कि कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं के आधार पर खारिज किया गया है । तद्नुसार दावा वादी as withdrawn खारिज किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर सीपीसी के आदेश 09 नियम 04 के तहत रेस्टोरशन का प्रार्थना पत्र वादीगण का मेन्टेनेबल नहीं है जिसको स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है । दावा रेस्टोर किये जाने से पूर्व मृतक प्रतिवादियों के कायममुकमान को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं । रेस्टोरेशन का आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जो Nullity है । मृत व्यक्तियों के खिलाफ दावा अबेट हो जाने से दावा समस्त प्रतिवादियों के खिलाफ अबेट हो गया है ।

16. यदि वादीगण यह महसूस करते हैं कि उनके द्वारा दावे में कार्यवाही नहीं चाहने की प्रार्थना दिनांक 31.05.2016 को नहीं की गई थी तो वो परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को रेस्टोर कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 निरस्त किया जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020 / 00073

1. मनोज कुमार पुत्र श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत ।
2. श्रीमती भंवर बाई पत्नी श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती अश्विनी पत्नी श्री जयसिंह (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक ।
4. श्रीमती अंजू पत्नी श्री दिवाकर (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति चारण राजपूत निवासी मार्फत श्री भगवत सिंह मकान नं0 ग–22 भवानी नगर, मुरलीपुरा स्कूल के पास सीकर रोड जयपुर ।
5. नारायण सिंह आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. शक्तिशरण सिंह आत्मज श्री जोरावर सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राधाकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा ।
2. मदन लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणाान तहसील तालेडा पोस्ट लीलेडा व्यासन वाया तालेडा जिला बून्दी।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।
4. तेज सिंह आत्मज श्री मूल सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम बडा गॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
5. उम्मेद सिंह आत्मज श्री मूलसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम बडा गॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
6. श्रीति राज बाई पत्नी श्री सवाई सिंह (पुत्री श्री मूल सिंह) जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम डोगरी पोस्ट मोजमाबाद तहसील ददु जिला जयपुर ।
7. देवराज आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

नाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 01/दावा/2020

1. भागीरथ आत्मज श्री रामलाल जाति दरोगा निवासी ठीकरिया चारणान (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राधाकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा ।
   1/2. मदन लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणाान तहसील तालेडा पोस्ट लीलेडा व्यासन वाया तालेडा जिला बून्दी।

––वादी

बनाम

1. मुरजाद सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. देवराज आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/2. नारायण सिंह आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति राजपूत निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
   1/3. श्रीमती रामकंवर बाई विधवा पत्नी श्री मुरजाद सिंह जाति राजपूत निवासी ठीकरिया चारणान तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्री जोरावर सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. शक्तिशरण सिंह आत्मज श्री जोरावर सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ठीकरिया चारणान तहसील एवं जिला बून्दी ।
   2/2. श्रीमती मनोहर कुमारी धर्मपत्नी श्री मूल सिंह जाति चारण निवासी बडागॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
3. हरि सिंह आत्मज श्री अखेदान सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. श्रीमती भंवर बाई बेवा स्व0 श्री हरिसिंह ।
   3/2. मनोज पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह ।
   3/3. अंजू बाला पुत्री स्व0 हरिसिंह ।
   3/4. अश्विनी पुत्री स्व0 श्री हरिसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ठीकरिया चारणान तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे

2. यह अपील तारीख 02.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 02.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

2/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा